अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, खोरीमहुआ (गिरीडीह)

वाद सं0–300/2020

प्रकाश सिंह —बनाम्— अर्जुन सिंह वगैरह

आदेश

18.03.2021 थाना प्रभारी, घनबार के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर सुनवाई की गयी।

प्रथम पक्ष की ओर से अपने दखल वाले भूमि को द्वितीय पक्ष द्वारा बिना किसी कागजात के जबरन हड़पने को प्रयासरत रहने का उल्लेख कर जारी निषेधाज्ञा को स्वयं से रिक्त कर इसे द्वितीय पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष की ओर से प्रथम पक्ष को खेवटदार डेगो सिंह का वंशज बताकर वकास्त खाता की भूमि पर प्रथम पक्ष/खेवटदार के वंशज का दावा शेष नहीं रहने का तथ्य प्रस्तुत कर खेवटदार द्वारा बंधक दलील दिनांक 10.06.1929 के माध्यम से अपना अधिकार हिरो महतो एवं मोहर महतो को सौंप दिये जाने तथा उक्त हिरो महतो एवं मोहर महतो से हुकुमनामा के माध्यम से प्राप्त भूमि पर प्राप्तकर्त्ता के वंशज/द्वितीय पक्ष के दखलकार रहने का उल्लेख कर प्रथम पक्ष के पूर्वज के दावा को सक्षम न्यायालय द्वारा नकार दिये जाने का तथ्य एवं स्वत्व वाद सं0–65/1989 में दिनांक 21.04.1989 को पारित निर्णय तथा दस्तोवज की प्रति प्रस्तुत की गयी।

पक्षकारों को सुनने एवं कागजात तथा प्रतिवेदन के अवलोकन से मामला सक्षम न्यायालय के अधिकारिता का रहना स्पष्ट है, तद्नुसार वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित
18/3/2021
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ (गिरीडीह)

18/3/2021
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ (गिरीडीह)

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.02.07 20:20:42 +05:30
Location: 192.168.1.3